

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 12/वि0-196/2024- 48(म70) पटना - 15 ,दिनांक :- 13/05/2026  
सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,  
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय - वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण/संचालन के बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन/मोबिलिटी की सुविधा हेतु सर्पोट फंड के रूप में ₹ 27.30 लाख (सताईस लाख तीस हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति।

प्रसंग: विभागीय संकल्प संख्या-6ए/वि01-10157/2017-2969 दिनांक-22.12.2017

उपर्युक्त विभागीय संकल्प द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के मुख्य शीर्ष के अधीन सर्पोट फंड के रूप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-6ए/वि01-10157/2017-2969 दिनांक-22.12.2017 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण/संचालन के बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को क्षेत्र भ्रमण हेतु निम्न तालिका के अनुसार ₹ 27.30 लाख (सताईस लाख तीस हजार रुपये) मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	स्वीकृत वाहन की संख्या	स्वीकृत वाहन का दर	द्वितीय वर्ष 2025-26 में अबतक विमुक्त की गयी राशि (अप्रैल-2025 से दिसम्बर-2025 तक के लिए)	द्वितीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित विमुक्त राशि (जनवरी-2026 के लिए)		
					अंकों में	शब्दों में	
1	2	3	4	5	6	7	
1	140 पंचायत से अधिक संख्या वाले	समस्तीपुर	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
2		दरभंगा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
3		छपरा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
4		बेतिया	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
5		सिवान	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
6		हाजीपुर	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
7		सीतामढ़ी	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
8		सासाराम	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
9		कटिहार	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
10		गोपालगंज	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
11		आरा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
12		मोतिहारी	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
13		मधुबनी	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
14		मोतिपुर	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
15		पटना पश्चिम	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
16		औरंगाबाद	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।

क्र० सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	स्वीकृत वाहन की संख्या	स्वीकृत वाहन का दर	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक विमुक्त की गयी राशि (अप्रैल-2025 से दिसम्बर-2025 तक के लिए)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित विमुक्त राशि (जनवरी-2026 के लिए)	
					अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
17	नवादा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
18	ढाका	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
19	गयाजी	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
20	सुपौल	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
21	झंझारपुर	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
22	मधेपुरा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
23	मुजफ्फरपुर	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
24	भागलपुर पूर्व	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
25	जमुई	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
26	बिहारशरीफ	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
27	सहरसा	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
28	भभुआ	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
29	शेरघाटी	02	35000	6,30,000.00	70,000.00	सत्तर हजार रुपये मात्र।
30	बक्सर	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
31	खगड़िया	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
32	किशनगंज	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
33	अररिया	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
34	धमदाहा	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
35	पूर्णियाँ	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
36	तेघड़ा	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
37	पटना पूर्व	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
38	बेगूसराय	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
39	मुंगेर	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
40	बाँका	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
41	हिलसा	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
42	फारबिसगंज	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
43	जहानाबाद	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
44	बाराहाट	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
45	भागलपुर पश्चिम	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
46	लखीसराय	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
47	अरवल	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
48	शेखपुरा	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
49	शिवहर	01	35000	3,15,000.00	35,000.00	पैंतीस हजार रुपये मात्र
<b>TOTAL</b>				<b>2,45,70,000.00</b>	<b>27,30,000.00</b>	<b>सताईस लाख तीस हजार रुपये मात्र।</b>

3. अनुरोध है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण/संचालन के बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन/मोबिलिटी की सुविधा हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत संबंधित प्रमंडल को उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित राशि ₹ 27.30 लाख (सताईस लाख तीस हजार रुपये) मात्र विमुक्त की जाय।

31/05/26  
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :- 12/वि0-196/2024- 48 पटना - 15 ,दिनांक :- 13/05/2026  
प्रतिलिपि- सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- (i) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्पोट फंड के लेजर से प्रमंडल को उपर्युक्त विमुक्त राशि का सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन/मोबिलिटी की सुविधा हेतु पर भुगतान किया जायेगा।
- (ii) इस योजना पर होने वाला व्यय विमुक्त राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अभय  
13/05/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :-12/वि0-196/2024- 48

पटना - 15 ,दिनांक :- 13/05/2026

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/विशेष पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4/ प्रशाखा-6/ प्रशाखा-12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय  
13/05/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

6